कोयला खान भविष्य निधि संगठन
COAL MINES PROVIDENT FUND ORGANISATION
(भारत सरकार कोयला मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय)
(A Statutory Organization under Ministry of Coal, Government of India)
आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER

सामाजिक सुरक्षा संगठन
Social Security Organization

पुलिस लाईन @POLICE LINE,
धनबाद@DHANBAD
पिन /PIN-826014
(झारखण्ड) (JHARKHAND)
फोन नं० Phone No.- 0326-2202114
email : commissioner@cmpfo.gov.in
Website:- www.cmpfo.gov.in

प्रक्रियात्मक कार्यालय आदेश संख्या 02 , 2026

धनबाद, दिनांक 24th जुलाई , 2026

विषय: "मिशन विश्वास" के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के हित में भविष्य निधि/पेंशन दावों के समयबद्ध प्रेषण के संबंध में।

आयुक्त कार्यालय, धनबाद द्वारा जारी प्रक्रियात्मक कार्यालय आदेश संख्या 04 दिनांक 30.03.2023 के अनुसार, सेवानिवृत्ति माह की 7 तारीख तक प्राप्त भविष्य निधि एवं पेंशन दावों को "मिशन विश्वास" के अंतर्गत सम्मिलित कर उसी माह में उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के समय भविष्य निधि एवं पेंशन लाभों की समय पर प्राप्ति सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी तथा उसके परिवार की आर्थिक सुरक्षा एवं कल्याण से सीधे जुड़ी होती है। "मिशन विश्वास" का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी को अपनी सेवा पूर्ण करने के उपरांत उसके वैध सामाजिक सुरक्षा लाभों के लिए अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े।

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में दावे निर्धारित समय-सीमा के भीतर C-CARES पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। परिणामस्वरूप, ऐसे दावों को सेवानिवृत्ति माह में "मिशन विश्वास" के अंतर्गत सम्मिलित कर निस्तारित करना संभव नहीं हो पाता, जिससे सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को अनावश्यक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः सभी कोयला कंपनियों तथा उनके क्षेत्रीय/इकाई कार्यालयों से अनुरोध एवं अपेक्षा की जाती है कि निम्नलिखित बिंदुओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें:

1. प्रत्येक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का भविष्य निधि एवं पेंशन दावा, सभी आवश्यक अभिलेखों सहित और पूर्ण रूप से, सेवानिवृत्ति माह की 7 तारीख तक C-CARES पोर्टल के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य

रूप से प्रेषित किया जाए।

2. संबंधित माह के अंशदान तथा अन्य आवश्यक विवरण भी निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपलब्ध कराए जाएँ, ताकि दावों का समय पर परीक्षण एवं निस्तारण किया जा सके।
3. दावों की प्रारंभिक जाँच इकाई/क्षेत्र स्तर पर पर्याप्त समय पूर्व कर ली जाए तथा अभिलेखों अथवा विवरणों में पाई गई किसी भी कमी को तत्काल दूर कराया जाए, जिससे कोई पात्र कर्मचारी केवल प्रक्रियात्मक विलंब के कारण "मिशन विश्वास" के लाभ से वंचित न रहे।
4. संबंधित कार्मिक विभाग प्रत्येक माह सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के मामलों की नियमित निगरानी करें तथा CMPFO के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखें।

सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इसे केवल प्रक्रियात्मक अनुपालन न मानते हुए, अपनी सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के प्रति संस्थागत दायित्व के रूप में देखें। समयबद्ध कार्रवाई एवं समन्वय से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि एवं पेंशन लाभ सम्मानपूर्वक और बिना किसी अनावश्यक कठिनाई के प्राप्त हों।

सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु सभी संबंधित पक्षों से पूर्ण सहयोग एवं संवेदनशीलतापूर्वक अनुपालन की अपेक्षा की जाती है।

उक्त आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

Digitally signed by
JAI SHANKAR RAI
Date: 24-07-2026
11:40:09

(जय शंकर राय)
क्षेत्रीय आयुक्त-I

संचिका संख्या : CMPFO-15.0012.0/4/2024-CP/299 दिनांक: 24.07.202

वितरण:

1. निदेशक (कार्मिक)— CIL/BCCL/CCL/MCL/NCL/ECL/WCL/SECL/NECL/SCCL।
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, CMPDIL/सभी निजी कोयला कंपनियाँ।
3. सभी क्षेत्रीय प्रमुख, कोयला खान भविष्य निधि संगठन।
4. EDP अनुभाग, CMPFO मुख्यालय, धनबाद—CMPFO की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।